

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 128]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 27 मार्च 2017—चैत्र 6, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2017

क्र. 5231-66-इक्कीस-अ(प्रा.)/अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 26 मार्च, 2017 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

## मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ९ सन् २०१७

## मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, २०१७

[दिनांक २६ मार्च, २०१७ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २७ मार्च, २०१७ को प्रथम बार प्रकाशित की गई।]

वित्तीय वर्ष २०१६-२०१७ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

## संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, २०१७ है.

वित्तीय वर्ष २०१६-१७ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये ६९,६६,०७,५२,८०० का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये छः हजार नौ सौ छियासठ करोड़ सात लाख बावन हजार आठ सौ मात्र होता है, उन विभिन्न प्रभागों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत वित्तीय वर्ष २०१६-२०१७ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

## विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची  
( धारा २ और ३ देखिये )

( आंकड़े रुपयों में )

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवायें और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
		विधान सभा द्वारा मतदत्त रुपये	संचित निधि पर भारित रुपये	योग रुपये
०१.	सामान्य प्रशासन	पूंजी १००	०	१००
०४.	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व २४,५५,००,०००	१,००,०००	२४,५६,००,०००
११.	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	राजस्व १२,००,१००	०	१२,००,१००
१२.	ऊर्जा	राजस्व ४८,४५,८२,००,००० पूंजी २००	६३,१३,३५,००० ०	४९,०८,९५,३५,००० २००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राजस्व	८००	०	८००
१७.	सहकारिता	राजस्व	१००	०	१००
		पूंजी	८७,९२,००,०००	०	८७,९२,००,०००
२०.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	७०,००,००,०००	०	७०,००,००,०००
		पूंजी	१००	०	१००
२२.	नगरीय विकास एवं पर्यावरण	राजस्व	१६,२५,०००	०	१६,२५,०००
२३.	जल संसाधन	पूंजी	१००	०	१००
२४.	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	पूंजी	२,७०,००,०१,२००	०	२,७०,००,०१,२००
२६.	संस्कृति	राजस्व	१,००,००,०००	०	१,००,००,०००
३०.	ग्रामीण विकास	पूंजी	६,९२,८९,८९,०००	०	६,९२,८९,८९,०००
३२.	जनसंपर्क	राजस्व	२०,००,००,०००	०	२०,००,००,०००
३९.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	पूंजी	२,५४,८२,००,०००	०	२,५४,८२,००,०००
४५.	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	पूंजी	१००	०	१००
५३.	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	१,१८,८७,०७,०००	०	१,१८,८७,०७,०००
५५.	महिला एवं बाल विकास	राजस्व	२,३६,७५,०००	०	२,३६,७५,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
७०.	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	राजस्व	७२,००,०००	०	७२,००,०००
७३.	चिकित्सा शिक्षा	पूंजी	७७,००,००,०००	०	७७,००,००,०००
७५.	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	४,२४,४९,०९,०००	१२,१९,१०,०००	४,३६,६८,१९,०००
योग :		राजस्व :	५५,०८,१०,१७,०००	७५,३३,४५,०००	५५,८३,४३,६२,०००
		पूंजी :	१३,८२,६३,९०,८००	०	१३,८२,६३,९०,८००
		वृहद-योग :	६८,९०,७४,०७,८००	७५,३३,४५,०००	६९,६६,०७,५२,८००

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2017

क्र. 5231-66-इक्कीस-अ(प्रा.)/अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, 2017 (क्रमांक 9 सन् 2017) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 9 OF 2017

**THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION ACT, 2017**

[Received the assent of the Governor on the 26th March, 2017; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 27th March, 2017].

**An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh for the services of the Financial Year 2016-2017.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-Eighth year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation Act, 2017.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of rupees Six thousand nine hundred sixty-six crore seven lakh fifty-two thousand eight hundred only towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the Financial Year 2016-2017 in respect of services and purposes specified in column (2) of the Schedule.

Issue of Rs. 69,66,07,52,800 from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial Year 2016-2017.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

Appropriation.

THE SCHEDULE

(See Sections 2 and 3)

(1) No. of Vote	(2) Services and purposes	(3) Sums not exceeding		Total
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	
		Rs.	Rs.	Rs.
01.	General Administration Capital	100	0	100
04.	Other expenditure pertaining to Home Department Revenue	24,55,00,000	1,00,000	24,56,00,000
11.	Commerce, Industry and Employment Revenue	12,00,100	0	12,00,100
12.	Energy Revenue Capital	48,45,82,00,000 200	63,13,35,000 0	49,08,95,35,000 200
13.	Formers Welfare and Agriculture Development Revenue	800	0	800
17.	Co-operation Revenue Capital	100 87,92,00,000	0 0	100 87,92,00,000
20.	Public Health Engineering Revenue Capital	70,00,00,000 100	0 0	70,00,00,000 100
22.	Urban Development and Environment Revenue	16,25,000	0	16,25,000

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
23.	Water Resources Department	Capital	100	0	100
24.	Public Works-Roads and Bridges	Capital	2,70,00,01,200	0	2,70,00,01,200
26.	Culture	Revenue	1,00,00,000	0	1,00,00,000
30.	Rural Development	Capital	6,92,89,89,000	0	6,92,89,89,000
32.	Public Relations	Revenue	20,00,00,000	0	20,00,00,000
39.	Food, Civil Supplies and Consumer Protection	Capital	2,54,82,00,000	0	2,54,82,00,000
45.	Minor Irrigation Works	Capital	100	0	100
53.	Financial assistance to Three Tier Panchayati Raj Institutions	Revenue	1,18,87,07,000	0	1,18,87,07,000
55.	Women and Child Development	Revenue	2,36,75,000	0	2,36,75,000
70.	Externally Aided Projects pertaining to Technical Education and Training Department.	Revenue	72,00,000	0	72,00,000
73.	Medical Education Department	Capital	77,00,00,000	0	77,00,00,000
75.	Financial assistance to Urban bodies	Revenue	4,24,49,09,000	12,19,10,000	4,36,68,19,000
<b>Total</b>		<b>Revenue</b>	<b>5,5,08,10,17,000</b>	<b>75,33,45,000</b>	<b>55,83,43,62,000</b>
		<b>Capital</b>	<b>13,82,63,90,800</b>	<b>0</b>	<b>13,82,63,90,800</b>
<b>Grand Total</b>			<b>68,90,74,07,800</b>	<b>75,33,45,000</b>	<b>69,66,07,52,800</b>